

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 163/18

कोमल पत्नी दिनेश कुशवाह आयु 24 वर्ष निवासी  
लक्ष्मीगंज, ए0बी0 रोड धर्मकांटा नयापुरा थाना  
जनकगंज जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश

—आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद

—अनावेदक

12-05-2018

आवेदक/अभियुक्त कोमल की ओर से श्री सुनील कांकर अधिवक्ता।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।

पुलिस थाना गोहद से अपराध क्रमांक 110/18 अंतर्गत धारा 366-ए व 376 भा0दं0सं0 की केस डायरी मय पुलिस प्रतिवेदन प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त कोमल की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कांकर द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कांकर द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद ने आवेदिका के विरुद्ध एक झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबकि उक्त अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदिका का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है वह एक सभ्रांत परिवार की गृहणी हैं। आवेदिका के पास एक वर्ष की बच्ची है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर बेइज्जत करना चाहती है, यदि उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जायेगी। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये संपूर्ण केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन अनुसार

फरियादी रमेश कुशवाह द्वारा उसकी पुत्री अभियोक्त्री राधा की गुम इंसान क्रमांक 07/18 लेखबद्ध कराई गई थी। दौराने जांच दिनांक 04.05.18 को गुमशुदा राधा दस्तयाब हुई जिसका दिनांक 05.05.18 को कथन लिया गया जिसमें उसने बताया कि शनी रजक से उसका मोबाईल पर संपर्क होना तथा शनी द्वारा अपने साथ शादी करने के लिये विवश करना एवं दिनांक 14.04.18 को शनी के गोहद में आना तथा उसे शादी का झांसा देकर ग्वालियर ले जाना तथा उसके साथ बलात्कार करना बताया गया था।

उक्त घटना के संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 366-ए व 376 भा0दं0सं0 के अंतर्गत कायमी की जाकर, विवेचना के अनुक्रम में संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दिये गये कथनों में भी स्वयं अभियोक्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किये हैं कि आवेदक/अभियुक्त कोमल द्वारा उसे ग्वालियर ले जाना बताते हुये उक्त गंभीर अपराध को घटित किये जाने में सहयोग किया जाना बताया है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है तथा अनुसंधान अपूर्ण होकर प्रगति पर है।

अतः उपरोक्तानुसार अपराध की गंभीरता सहित मामले के संपूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक कोमल को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः उसकी ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किये जाता है।

आदेश की प्रति सहित संबंधित थाने को केस जायरी विधिवत वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस0के0गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड